न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरू

बइजलास इन्द्राज सिंह (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या : 371 सन् 2018

निर्णय दिनांक – 11.12.2019

बिमला देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासिनी श्योसिंगपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं निवासि जणाऊ मिठ्ठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

—— प्रार्थी

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरु
2. कुलदीप } पुत्रगण ध्यालाराम
3. किशनलाल
4. गुमानी पत्नी ध्यालाराम
5. राजेन्द्र } पुत्र ध्यालाराम
6. होशियार सिंह
7. राजवीर } पुत्रगण चेतराम
8. सुरेन्द्र

} जाति जाट निवासीगण ग्राम खातीवास तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्त. धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –

विद्वान अधिवक्ता श्री कुन्दन यादव वास्ते प्रार्थीनी

पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 1

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ता 8

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पैमाईश व पत्थरगढ़ी अन्त. धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 98 खसरा संख्या 190 तादादी 1.56 हैक्टेयर वाके रोही जणाऊ मिठ्ठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है जिसके उत्तर में आम रास्ता, आगे अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की भूमि खसरा संख्या 160, पश्चिम में आम रास्ता, आगे अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की भूमि खसरा संख्या 135 अवस्थित हैं। अप्रार्थीगण उक्त रास्तों के चलते मौजूदा पुख्ता निशानदेही समाप्त करने पर आमादा हैं जिस कारण प्रार्थीनी के लिए अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के उत्तर व पश्चिम में पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीनी के कहने व कहलवाने पर भी अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने ऐसा मानने से दिनांक 15.06.2019 को बमुकाम जणाऊ मिठ्ठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू इंकार कर दिया जिस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा, आदि आदि व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की उत्तर व पश्चिम दिशा की पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहा।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पक्ष को नियमानुसार तलब अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई खंड़न प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीनी की अ कृषि भूमि की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 20.05.2018 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्राव

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत वादगत कृषि भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी काश्तकारी की होना प्रमाणित है। प्रकरण पैमाईश कर खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिह्न पैमाईश के मुताबिक कायम करवाकर पत्थर गढ़ी कर सम्बंध में है। प्रार्थीनी द्वारा सीमा विवाद होना अंकित किया गया है, ऐसे में मौका पर प्रार्थीनी की कृषि भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाकर विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 98 खसरा संख्या 190 तादादी 1.56 हैक्टेय जणाऊ मिठ्ठी तहसील राजगढ़ जिला चूरु की योग्य टीम से पैमाईश पुख्ता सीमा चिह्न से प उपस्थिति में करके उत्तर व पश्चिम दिशा की पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिया जाना न्याय होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 योग्य करके रोही ग्राम जणाऊ मिठ्ठी राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित प्रार्थीनी की खाते भूमि खाता संख्या 98 खसरा संख्या 190 तादादी 1.56 हैक्टेयर की मौका पर पुख्ता पैमाईश चिन्ह पक्षकारान की उपस्थिति में की जाकर सीमाओं की पुख्ता निशानदेही दी जाकर उत्तर व पश्चिम दि पर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाई जावे। तहसीलदार राजगढ़ को हिदायत दी जाती है कि वह आदेश करवाकर जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपख
राज
रा